प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष-2023 प्र0सू0रि0 सं. 77/2023.....दिनांक 6/4/2023

2. (I) **अधिनियम:-** धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (II) **अधिनियम** ..... **धारायें** .....
   (III) **अधिनियम** ..... **धारायें** .....
   (IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0**.... .....

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....110..... **समय** ....5:40 PM...

(ब) अपराध घटने का दिन- बुधवार, **दिनांक** 05.04.2023 **समय** 1.26 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....30.03.2023.....

4. **सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक-** **लिखित**

5. **घटनास्थल:-** महाराजा अग्रसेन अस्पताल के पास, सेन्टरल स्पाईन रोड़, विधाधर नगर, जयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब उत्तर, करीब 15 कि0मी0

(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. **(i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-**

(अ) नाम-श्री सुशील सहारण

(ब) पिता/पति का नाम- श्री गायत्री प्रसाद

(स) जन्म तिथी- उम्र 41 साल

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय- प्राईवेट नौकरी

(ल) पता- -फ्लेट नं0-बी-1006, प्लेटिनम अमलतास, सिरसी रोड, कनकपुरा, पांच्यावाला, पुलिस थाना-करणी विहार जयपुर

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित:-**

1. श्री मनीष चान्दना पुत्र श्री गोपीचन्द चान्दना, उम्र 41 साल, निवासी प्लॉट नं. 106, कल्याण कुंज, कालवाड़ रोड़, कांटा चौराहा, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल एसडीई (उप मण्डल अभियन्ता), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर
2. श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री हरलाल मीणा, उम्र 40 साल निवासी प्लाट नं. सी-99, शिक्षा विहार, एसकेआईटी कॉलेज के पास, जगतपुरा जयपुर हाल एसडीई, बीएसएनएल, कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, दूर संचार जिला जयपुर

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....**

9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....**

Suresh

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- कुल 1,15000/-रू0. (आरोपी द्वारा 15 हजार रूपये मांग सत्यापन के दौरान व 01 लाख रूपये रिश्वत लेन-देन के दौरान प्राप्त किये गये)....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि 30.03.2023 को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री सुशील सहारण का परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र पर मन उप अधीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आकर अपना परिचय देकर परिवादी श्री सुशील सहारण से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुशील सहारण पुत्र श्री गायत्री प्रसाद, जाति-जाट, उम्र-41 साल, निवासी-फ्लेट नं0-बी-1006, प्लेटिनम अमलतास, सिरसी रोड, कनकपुरा, पांच्यावाला, पुलिस थाना-करणी विहार जयपुर मो0नं0 9509424003 होना बताया। परिवादी श्री सुशील सहारण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''सेवामें, श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार ब्यूरो (ACB) जयपुर विषय-रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि SR Enterprises Delhi की फर्म ने BSNL जयपुर शहर के OFC मैंटिनेंस का काम ले रखा है। उक्त फर्म ने मुझे BSNL OFC जयपुर शहर के लिए आथोराइज व्यक्ति नियुक्त कर रखा है। फर्म द्वारा MI ROad सेक्शन में OFC मैंटिनेंस के कार्य का भुगतान BSNL से आता है और मेरे द्वारा किए गए कार्य के बिल का वेरिफिकेशन व बिल के भुगतान हेतु SDE BSNL MI Road सेक्शन के मार्फत होता है और SDE ही मेरे बिलो को भुगतान के लिए BSNL में आगे प्रोसेस करता है। फर्म SR Enterprises द्वारा 16 जून 2022 से MI Road सेक्शन के कार्य का एग्रीमेंट कर कार्य आरम्भ किया मैने काम करने के बाद कार्य की MB Book व कार्य के बिलो के भुगतान हेतु SDE मनीष चांदना व SDE कमलेश मीणा को दिए जो MI Road सेक्शन के प्रभारी है परन्तु उनके द्वारा मेरे बिलो को आगे भुगतान हेतु प्रोसेस नहीं कर रहे है। और बिलों को भेजने हेतु मैरे से 50000 RS रिश्वत के मांग रहे है और कहते है कि रूपये लेने के बाद ही जुन से लेकर अब तक के बिलो का भुगतान एक साथ करवा देंगे। मेरी SDE मनीष चांदना व SDE कमलेश मीणा से किसी प्रकार की रंजीश नहीं है। मै उनको रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हु। एसडी प्रार्थी सुशील सहारण S/o गायत्रीप्रसाद प्लाट नं. 1006 अमलतास जयपुर''। तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि चार पांच दिन पहले भी मेरे से एसडीई मनीष चांदना ने मेरे पैडिंग बिलो के भुगतान करने के लिये 20,000/रूपये लिये थे और अभी भी मेरे द्वारा किये गये कार्य की एमबी भरने व करीब 10-12 लाख के बिलों के भुगतान के लिए मेरे से रिश्वति राशि की मांग कर रहे है। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे विश्वसनीय परिचित से लिखवाकर लाया हूं व उसे मै उक्त कार्यवाही में शामिल नही करना चाहता हूं। मेरी श्री मनीष चांदना व श्री कमलेश मीणा से किसी भी प्रकार की कोई रंजिश व रूपयों का लेन-देन नहीं है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वर्क ऑर्डर की प्रतियां, एसआर एंटरप्राईजेज द्वारा परिवादी श्री सुशील सहारण के नाम जारी अथॉरिटी लेटर, माह जनवरी के बिलो की कॉपियां एवं वर्क ऑर्डर के संबंध में कार्यालय से जारी पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की प्रकिया से अवगत कराकर संदिग्धों

Suresh

से रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के लिये पूछा तो परिवादी ने बताया कि आज रामनवमी का राजकीय अवकाश होने के कारण संदिग्धगण कार्यालय व फील्ड में नही मिलेंगे। मै कल दिनांक 31.03.2023 को ब्यूरो कार्यालय आकर संदिग्धगणों से मिलकर मेरे पैण्डिंग बिलों के भुगतान व माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की एमबी बुक भरवाने संबंधी वार्ता करने जाऊंगा। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुशील सहारण को गोपनीयता की मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया। आईन्दा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में आने पर अग्रिम कार्यवही की जावेगी। दिनांक 31.03.2023 को परिवादी श्री सुशील सहारण ब्यूरो कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मै मनीष चांदना से जरिये मोबाईल मिलने के लिये वार्ता करूंगा। उक्त कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय में उपस्थित श्री मनीष कुमार कानि 315 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री सुशील सहारण व कानि0 का आपस में परिचय करवाकर व आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये। तत्पश्चात श्री मनीष कुमार कानि0 से कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व Sandisk Ultra 32GB मैमोरी कार्ड मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री सुशील सहारण को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई जाकर मुनासिब हिदायत कर श्री मनीष कुमार कानि0 को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड को सुपुर्द किया। तत्पश्चात समय 04.13 पीएम पर श्री मनीष कुमार कानि0 से वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9509424003 से एसडीई श्री मनीष चांदना के मोबाईल नम्बर 9413395691 पर कॉल करवाकर ऑपन स्पीकर कर वार्ता की गई। वॉईस रिकॉर्डर श्री मनीष कुमार कानि0 द्वारा बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा गया। उक्त वार्ता में ''संदिग्ध श्री मनीष चांदना ने परिवादी को एमआई रोड जयपुर, स्थित ऑफिस में मिलने व आधा घण्टे में आने के लिए कहा है''। तत्पश्चात श्री मनीष कुमार कानि. 315 व परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु रवाना किया गया। समय 6.50 पीएम पर श्री मनीष कुमार कानि. व परिवादी श्री सुशील सहारण ब्यूरो कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये व श्री मनीष कुमार कानि0 ने विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को बन्द हालात में सुपुर्द कर बताया कि परिवादी के साथ उसकी कार में रवाना होकर अहिंसा सर्किल के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी द्वारा अपने एटीएम कार्ड द्वारा एटीएम से 20,000/रूपये निकालकर लेकर आये, उक्त नोटो के नम्बर मेरे द्वारा एक सफेद कागज पर लिखे, उक्त कागज मै आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। उसके बाद मैने एमआई रोड जयपुर पर स्थित बीएसएनएल कार्यालय से कुछ दूरी पहले परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर उसकी कार से संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने के लिये बीएसएनएल कार्यालय में रवाना कर मै भी उसके पीछे-पीछे रवाना होकर बीएसएनएल कार्यालय के पास मुकीम हो गया। कुछ समय बाद परिवादी अपनी कार से बीएसएनएल कार्यालय से बाहर आकर वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मै परिवादी के साथ उसकी कार से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आये। मन उप अधीक्षक को परिवादी ने पूछने पर बताया कि ''मै बीएसएनएल ऑफिस में गया तो मुझे मनीष जी व कमलेश जी तीसरी मंजिल पर स्थित सर्वर रूम में मिले, जिनसे मैने अपने किये गये कार्य के बिलों के भुगतान एवं एमबी भरकर देने के लिए कहा तो मनीष चांदना जी ने कहा कि मेरे बिलो को देखकर आईन्दा रूपये बतायेगा कि कितने रूपये बनते है, हिसाब मोटा है, कम से कम लाख डेढ लाख रूपये तो बनते है, जिसकी सहमती कमलेश मीणा जी द्वारा भी दी गयी और कहा गया कि ढंग की चीज लाओ ये क्या दिखा रहे हो। मेरे द्वारा मनीष चांदना जी को 10,000 रूपये आंशिक रिश्वती राशि देने पर मनीष चांदना जी द्वारा नाराजगी व्यक्त करने पर 5000/रूपये और दिये गये, जिसके लिये मनीष चांदना जी ने कहा कि हम पांच जने है, जिनको अभी बांट दूंगा। बाकी हिसाब करके परसो 4 बजे मिलने के लिये बुलाया है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर में लगा कर सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध श्री मनीष चांदना द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने की पुष्टि होती है व श्री कमलेश मीणा द्वारा परिवादी

Suresh

से रिश्वती राशि प्राप्त करने में मनीष चांदना की सहायता करना व रिश्वत मांग करने में प्रथम दृष्टया आंशिक संलिप्तता प्रकट होती है। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर तैयार की जावेगी। मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने बताया कि मै मनीष चांदना जी से जरिये मोबईल वार्ता कर मेरे हिसाब में निकलने वाली रिश्वत राशि के बारे में व मिलने का स्थान व समय पूछकर बता दूंगा, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आईन्दा रिश्वत मांग से जैसी सूरत वैसी कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 02.04.2023 को श्री मनीष कुमार कानि0 ने मन उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी ने मुझे कॉल कर बताया है कि श्री मनीष चांदना ने अपने मोबाईल नम्बर 9413395691 से परिवादी के वॉट्सअप पर अपनी लोकेशन भेजकर मिलने के लिये बुलाने एवं आज रिश्वत के रूपयों की व्यवस्था नहीं होना, परिवादी ने मनीष चांदना जी से जरिये फोन वार्ता करने के लिये कहा है, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री मनीष कुमार कानि0 को मुनासिब हिदायत देकर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर उसके पास जाकर मनीष चांदना से जरिये फोन वार्ता करवाने की मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया। समय 3.52 पीएम पर श्री मनीष कुमार कानि0 ब्यूरो कार्यालय में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मै ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी से संपर्क कर उसके बताये गये स्थान मानसरोवर जयपुर में पहुंच कर परिवादी से मिला। मेरे द्वारा वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9509424003 से एसडीई श्री मनीष चांदना के मोबाईल नम्बर 9413395691 पर कॉल करवाकर ऑपन स्पीकर कर वार्ता की गई, तो उक्त वार्ता वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होने के पश्चात बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। उक्त वार्ता में परिवादी द्वारा बैंक का अवकाश होने के कारण रूपयों की व्यवस्था न होने व बैंक खुलने पर रूपये देने की बात कही एवं दी जाने वाली रिश्वत राशि के हिसाब के संबंध में पूछने पर मनीष चांदना जी द्वारा एक सताईस-एक अठाईस (1.27-1.28 लाख रूपये) होना बताया एवं बिलों के भुगतान व एमबी भरने के संबंध में वार्ता की गई। जिसको परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में आने की असमर्थता जताने पर मै रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय में आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वॉईस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर सुना गया तो कानि0 के कथनों की ताईद हुई। वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी में रखकर ताला बंद किया गया। दिनांक 04.04.2023 को परिवादी श्री सुशील सहारण ने कार्यालय में उपस्थित आकर बताया की रिश्वत राशि के एक लाख रूपये की व्यवस्था हो चुकी है। परंतु आज बीएसएनएल कार्यालय में राजकीय अवकाश होने के कारण बंद है। परिवादी ने बताया कि मै कमलेश मीणा जी से मनीष चांदना जी के मिलने के संबंध में जरिये मोबईल वार्ता करूंगा जिस पर परिवादी को कमलेश मीणा के मोबाईल नम्बर 9436832296 पर कॉल ऑपन स्पीकर कर करवाया गया तो उसने फोन रिसिव नही किया। समय 1.12 पीएम पर परिवादी ने पुन: कमलेश मीणा से जरिये मोबाईल संपर्क कर वार्ता की तो वार्ता में ''परिवादी द्वारा कमलेश मीणा से नमस्कार कर मनीष चांदना जी द्वारा कही गई रिश्वती राशि की व्यवस्था नही होने व बैंक खुलने पर व्यवस्था होने की बोलने पर कमलेश मीणा द्वारा अवकाश होने के कारण ऑफिस नहीं खुलना व चांदना से फोन कर मिलने की कहने पर परिवादी द्वारा पूर्व में चांदना जी को दिये गये 20000/रूपये व आपके कहने पर फोन करने एवं चांदना जी को ही देने के बारे में कहने पर संदिग्ध श्री कमलेश मीणा द्वारा चांदना से बात करना और उनसे ही कर लो, जो भी लेना है कहा जाता है। इस पर परिवादी द्वारा सहमति दी जाने पर संदिग्ध श्री कमलेश मीणा द्वारा पूरी बात चांदना से ही करने की कहा जाता है''। उक्त कॉल ऑपन स्पीकर कर करवाई गई। जिसको वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होने के पश्चात रिकॉर्डर को बंद कर कानि0 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया, जिसे मैंने सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में ताला बंद किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 05.04.2023 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि दिनांक 05.04.2023 को कार्यालय समय पर लेकर आने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही

की निष्पक्षता हेतु दो सरकारी स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर कार्यालय हाजा के श्री ब्रह्मप्रकाश हैडकानि0 नं0 99 को पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 05.04.2023 को कार्यालय समय पर ब्यूरो कार्यालय हाजा में उपस्थित आने के लिये पाबंद कराने की हिदायत दी गई एवं कार्यालय स्टाफ को भी दिनांक 05.04.2023 को कार्यालय समय पर आने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 05.04.2023 को कार्यालय समय पर समस्त ब्यूरो स्टाफ, दोनो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आ चुके है, अत: आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुये उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने क्रमश: अपना नाम पता श्री अमरचन्द बैरवा पुत्र श्री सुंदर लाल उम्र-45 साल, निवासी-म0नं0 6बी तिरूपति बालाजी नगर सांगानेर हाल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर मो0नं0 7791038618 व श्री शंकर लाल धायल पुत्र श्री जमन लाल उम्र-28 साल, निवासी-धायलों की ढाणी रलावता पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर मो0नं0 8696226360 बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान सम्मिलित होने की सहमति चाही तो दोनों ने पृथक पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। अब तक परिवादी श्री सुशील सहारण भी कार्यालय में उपस्थित आ चुका है, अत: परिवादी श्री सुशील सहारण का परिचय कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री अमरचन्द बैरवा, वरिष्ठ सहायक व श्री शंकर लाल धायल, वरिष्ठ सहायक से करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये तथा अब तक की गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। मन् उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी ने अवगत कराया कि मै मनीष चांदना जी से जरिये मोबाईल वार्ता कर रिश्वती राशि देने के सम्बंध में स्थान व समय तय करूंगा। तत्पश्चात मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर 9509424003 से एसडीई श्री मनीष चांदना के मोबाईल नम्बर 9461009611 पर ऑपन स्पीकर कर कॉल करवाई गई, उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री मनीष चांदना द्वारा परिवादी को झोटवाडा होना बताकर विधाधर नगर मिलने के लिए बुलाना व कमलेश मीणा के आफिस में होना बताकर ऑफिस में आने के लिए कहा गया। उक्त वार्ता को नियमानुसार वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 11.15 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुशील सहारण को संदिग्ध श्री मनीष चान्दना व श्री कमलेश मीणा SDE, OFC BSNL को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी श्री सुशील सहारण ने अपने पास से 500-500 रूपये के 200 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 1,00,000/-रूपये निकालकर, गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के नोटों, कुल राशि 1,00,000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री सुशील सहारण के समक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. नं. 51, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर से एचएम कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर वहीं पर रखी एक टेबल पर अखबार बिछाकर उस पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाया गया व नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुशील सहारण की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री शंकरलाल धायल से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल व जरूरी कागजातो के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं छोड़ी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 1 लाख रूपये (500-500 रूपये) के सभी 200 नोट सीधे ही श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से परिवादी सुशील सहारण के पहने हुये कुर्ता की नीचे की दांहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि इन नोटों को वह अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे देवें तथा संदिग्ध इस रिश्वत राशि को कहां रखता है इसका भी ध्यान रखें। संदिग्ध द्वारा रिश्वत राशि लेने के पश्चात् ही अपने सिर पर

Suresh

हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414217254 पर मिस कॉल कर मुझें व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये कांच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी वापस अलमारी में रखवाया व कांच के गिलास को कार्यालय के रखवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी डालकर श्री मनीष कुमार कानि. 315 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैडकानि. नं. 51 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी, मय श्री ब्रहमप्रकाश हैडकानि. 99, श्रीमती रजनी म0 कानि0 नं0 127, श्रीमति पिंकी महिला कानि. 11, श्री सुभाष चन्द कानि0 नं0 592, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्री नमोनारायण कानि. 453, श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अमरचन्द बैरवा व शंकरलाल धायल के जरिये सरकारी वाहनों मय चालक श्री रामप्रसाद डीआर कानि. व अमित कुमार डीआर, कानि., सरकारी मोटरसाईकिल मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के एवं श्री मनीष कुमार कानि. 315 को परिवादी सुशील सहारण के साथ उनकी निजी कार से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही एसीबी कार्यालय हाजा से रवाना हुये। समय 12.35 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम के रेल्वे स्टेशन के पास पहुंचे, जहां पर श्री मनीष कुमार कानि0 ने अवगत कराया कि संदिग्ध श्री मनीष चांदना द्वारा फोन कर परिवादी से वार्ता कर पहले विधाधर नगर आने की कहा तथा परिवादी द्वारा लोकेशन पुछने पर चोमु पुलिया आकर फोन करने के लिए कहा जाता है। उक्त वार्ता मैंने वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की थी। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा श्री मनीष कुमार कानि0 को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ उसकी कार में चोमु पुलिया के लिए रवाना किया गया। मन् उपअधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम के पीछे-पीछे चोमु पुलिया के लिए रवाना हुआ। समय 1.00 पीएम पर समस्त ट्रेप टीम के चोमु पुलिया के पास पहुंच चुकी है जहां पर श्री मनीष कुमार कानि0 ने जरिये फोन अवगत कराया कि समय 12.59 पीएम पर परिवादी श्री सुशील कुमार सहारण द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9509424003 से श्री मनीष चांदना के मोबाईल

Suresh

नम्बर 9461009611 पर कॉल करवाया गया, तो उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री मनीष चांदना द्वारा सीकर रोड़ पर ही अल्का सिनेमा से दाहिनी तरफ विधाधर नगर की तरफ सेन्ट्रल स्पाईन के सामने रोड़ पर बुला रहा है, इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री मनीष कुमार कानि0 को परिवादी के संदिग्ध श्री मनीष चांदना के पास जाने से पुर्व वाईस रिकार्डर चलाकर कर रवाना करने की मुनासिब हिदायत देकर रिश्वत राशि लेन-देन के लिए कानि0 को परिवादी के साथ उसकी कार से रवाना किया। मन् उपअधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम के पीछे-पीछे चोमु पुलिया से विधाधर नगर की तरफ रवाना हुआ। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान परिवादी के साथ गये श्री मनीष कुमार कानि. 315 द्वारा जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क में रहकर समय-समय पर वस्तु स्थिति एवं लेन-देन के संबंध में अवगत कराया जाता रहा। दर्ज रहे कि वक्त करीब 01.08 पीएम पर श्री मनीष कुमार कानि. 315 द्वारा परिवादी श्री सुशील सहारण को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी सुशील सहारण व श्री मनीष कुमार कानि. नं0 315 को परिवादी की निजी कार से संदिग्ध मनीष चान्दना, एसडीई से मिलने उसके द्वारा बताये अनुसार एवं उसके द्वारा भिजवाई गई लोकेशन के अनुसार विधाधर नगर, जयपुर की तरफ रवाना किया गया। मन् टीएलओ सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व अन्य ट्रेप टीम के सदस्यों के साथ परिवादी की निजी कार के पीछे-पीछे रवाना हुये। कुछ समय पश्चात परिवादी की कार महाराजा अग्रसेन अस्पताल के पास, सेन्टरल स्पाईन रोड़, विधाधर नगर, जयपुर के पास पहुंचकर रोड़ के किनारे रूक गई जिसमें से परिवादी सुशील सहारण नीचे उतर कर रोड़ के पास खडे व्यक्तियों के पास चला गया। मन् टीएलओं मय ट्रेप टीम भी सरकारी वाहनों को रोड़ के किनारे खड़ा करके नीचे उतरकर अपनी पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय करीब 1.26 पीएम पर परिवादी ने मन् टीएलओ व जाप्ता को निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् टीएलओ व आस पास खड़े ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेते हुए परिवादी के पास पहुंचकर उससे वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। फिर परिवादी ने मौके पर मौजूद एक चश्मा लगाये हुये लाल टिशर्ट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर मनीष चान्दना, एसडीई होना बताया तथा उसके पास खड़े अन्य व्यक्ति को जितेन्द्र कुमार, जेटीओ होना बताया। फिर परिवादी से रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर परिवादी ने अपने हाथ से, वहां पर खड़े एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि अभी अभी मनीष चान्दना जी ने मेरे से रिश्वत के रूप में एक लाख रूपये पास में ही खड़े पेड़ पर लटकाये हुये काला रंग के पिठु बैग की चैन खोलकर उसकी जेब में मेरे हाथों से सीधे ही रखवाये है। जिस पर संदिग्ध मनीष चान्दना को डिटेन कर नियमानुसार विभागीय परिचय देकर पेड़ पर लटके हुये काले रंग के पीठु बैग की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री शंकरलाल धायल से लिवाई गई तो बैग के आगे से तीन नम्बर की जेब की चैन खोलने पर उसके अन्दर 500-500 रूपयों की दो गड्डियां बरामद हुई जिनको दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के दो सौ नोट कुल 01 लाख रूपये हुये। जिन्हे पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट क्र.सं. 01 से 200 तक होना पाए गए। बरामद शुदा उपरोक्त रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये, संदिग्ध मनीष चान्दना का मोबाईल फोन व काले रंग का पीठु बैग मय उसमें रखे अन्य सामान को स्वतन्त्र गवाह श्री शंकरलाल धायल के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त राशि के संबंध में संदिग्ध मनीष चान्दना को पूछा तो उसने बताया कि ये काला रंग का पीठु बैग मेरा है लेकिन ये रूपये मैने नही लिये है व सहारण जी ने जबरदस्ती मेरे को फंसाने के लिए उक्त रूपये मेरे बैग में रख दिये है, इन रूपयों के बारे में मैं कुछ नही जानता, ये रूपये मेरे नही है, मैने इनसे किसी प्रकार की रिश्वत नही मांगी है। मुझको पता नही कि ये रूपये किस काम के लिए तथा क्यों रखे है। जिस पर परिवादी ने संदिग्ध को बीच में ही टोकते हुये बताया कि फर्म एसआर इंटरप्राईजेज, दिल्ली के प्रतिनिधी के तौर पर फर्म द्वारा मुझे ठेका दिया गया था। फर्म द्वारा जून 2022 से मार्च 2023 तक बीएसएनएल के एमआई रोड़ जयपुर सैक्शन के ओएफसी मेंटिनेंस कार्य

के बिलो के भुगतान व एमबी भरने की एवज में मेरे से रिश्वत के रूप में एक लाख सताईस हजार रूपये मांगे थे जिनमे से इन्होने 15 हजार रूपये मेरे से सत्यापन के दौरान ले लिये थे व 01 लाख रूपये आज लिये है जो इन्होने मेरे से इस काले रंग के पीठु बैग की चैन खोलकर उसमें सीधे ही मेरे से रखवाये थे। परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह विभागीय लैपटाप से जोड़कर सुना गया तो उसमें वार्ताएं रिकॉर्ड होकर परिवादी के बताये गये तथ्यों की पुष्ठी होती हुई। इस संबंध में डिटेन किये गये मनीष चान्दना, एसडीई से पूछा गया तो उसने कहा कि सहारण ने मेरे को फंसा दिये, मेरे से गलती हो गई। जिस पर आरोपी श्री मनीष चान्दना से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मनीष चान्दना पुत्र श्री गोपीचन्द चान्दना, उम्र 41 साल, निवासी प्लॉट नं. 106, कल्याण कुंज, कालवाड़ रोड़, कांटा चौराहा, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल एडीई (उप मण्डल अभियन्ता), कार्यालय, प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर बताया। आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई, बीएसएनएल द्वारा फर्म एसआर इंटरप्राईजेज, दिल्ली के प्रतिनिधी के तौर पर परिवादी को बीएसएनएल के एमआई रोड़ जयपुर सैक्शन के ओएफसी मेंटिनेंस कार्य के बिलो के भुगतान व एमबी भरने की एवज में रिश्वत के रूप में सवा लाख रूपये मांगकर, उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में परिवादी से एक लाख रूपये रिश्वत के रूप में लेना पाया गया है। तत्पश्चात मौके पर ही धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये साफ कांच के गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग झांईनुमा हो गया जिसको हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को झांईनुमा होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्कर पैन से मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे तैयार शुदा सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री मनीष चान्दना, एसडीई के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग झांईनुमा हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को झांईनुमा होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्कर पैन से मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के बताये अनुसार आरोपी मनीष चान्दना का काला रंग का पीठु बैग जिसमें रिश्वत राशि आरोपी मनीष चान्दना द्वारा रखवाई गई थी, के आगे से तीन नम्बर की जेब के अन्दर का धोवन लेने के लिए कपड़े की चिन्दी से रगड़कर उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धुलवाया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्कर पैन से मार्क B-1, B-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कपड़े की चिन्दी को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्कर पैन से मार्क BC अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पीठु बैग व उसमें रखी वस्तुओं/कागजातों की पृथक से जब्ती तैयार की गई। मौके पर विधुत कनेक्शन नही होने, सड़क आम होने एवं भीड़ एकत्रित होने से किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होने पर नजदीक स्थित पुलिस थाना विधाधर नगर पर जाकर कार्यवाही किया जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर मौजूद आरोपी मनीष चान्दना, एसडीई, जितेन्द्र कुमार, जेटीओ व ट्रेप पार्टी को हमराह लेकर सरकारी व प्राईवेट वाहनो से कार्यवाही के लिए पुलिस थाना विधाधर नगर के लिए रवाना होकर समय 02.00 पीएम पर पुलिस थाना विधाधर नगर, जयपुर पहुंचकर, ड्यूटी ऑफिसर से मौखिक सहमति लेकर आगे की

Suresh

कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री कमलेश मीणा, एसडीई की संलिप्तता के तथ्य प्रकट हुये है, अत: श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99 मय जाप्ता को सरकारी वाहन से श्री कमलेश मीणा, एसडीई को डिटेन करने व परिवादी के पैण्डिग कार्य से संबंधित रिकॉर्ड लाने हेतु प्रधान कार्यालय, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर रवाना किया गया। मन् टीएलओ द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्व में शील्ड मोहर कर कब्जा एसीबी में लिये गये शील्ड पैकेट मार्क R-1 व R-2, L-1 व L-2, B-1 व B-2 एवं BC से संबंधित चिट माल को प्रिन्ट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चस्पा किये गये। आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई के काला रंग के पीठु बैग से बरामद की गई रिश्वत राशि 01 लाख रूपयों जो स्वतन्त्र गवाह श्री शंकरलाल धायल के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को दोनो स्वतन्त्र गवाहान से पुन: चैक कर गिनवाया गया तो उसमें पांच-पांच सौ रूपये की दो गड्डीयां मिली, जिनमें प्रत्येक में पांच-पांच सो रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के 100-100 नोट, कुल 200 नोट, कुल राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) मिले। जिन्हे पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट क्र.सं. 01 से 200 तक होना पाए गए। बरामद शुदा उपरोक्त रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नम्बरी नोटो को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क ''M'' अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। स्वतन्त्र गवाह श्री शंकरलाल धायल के पास सुरक्षित रखवाये गये आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई के पीठु बैग की तलाशी ली गई जिसमें मिले कागजातो/वस्तुओं को उसी पीठु बैग में रखकर पीठु बैग को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पीठु बैग को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर कर मार्क B अंकित कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी पृथक से फर्द जब्ती तैयार की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के मोबाईल फोन को स्वतन्त्र गवाह श्री शंकरलाल धायल के पास सुरक्षित रखवाया गया था जिसका निरीक्षण किया तो मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का बरंग आसमानी, आईएमईआई -864017058923490/10 व 864017058923508/10 है जिसमें मोबाईल नं. 9413395691 व 9461009611 लगी हुई है। उक्त मोबाईल फोन को संदिग्ध मानते अनुसंधान के क्रम में कब्जा एसीबी लिया गया। इसी दौरान श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99 मय जाप्ता श्री कमलेश मीणा, एसडीई व परिवादी के पैण्डिग कार्य से संबंधित रिकॉर्ड को मन् टीएलओ के समक्ष पेश किया। उक्त रिकॉर्ड को पृथक से जरिये फर्द जब्ती अभिलेख तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् टीएलओ द्वारा श्री कमलेश मीणा, एसडीई से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री हरलाल मीणा, उम्र 40 साल निवासी प्लाट नं. सी-99, शिक्षा विहार, एसकेआईटी कॉलेज के पास, जगतपुरा जयपुर हाल एसडीई, बीएसएनएल, कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, दूर संचार जिला जयपुर बताया। आगे पूछताछ पर बताया कि मेरा कार्य ओएफसी से संबंधित एमआई रोड़ एरिया जयपुर के मेटिनेन्स का कार्य करवाना है। श्री सुशील सहारण, एसआर इन्टरप्राईजेज लिमी. जिसको ओएफसी मेंटिनेन्स का आवश्यकतानुसार कार्य दिया हुआ है। उसका सुशील सहारण प्रतिनिधि है। मै सुशील को लगभग पांच महिने से जानता हूं। ये हमारे ऑफिस में आते-जाते रहते है और हमारी फाल्ट से संबंधित कार्यो को लेकर फोन पर अक्सर बातचीत होती रहती है। दिनांक 04.04.2023 को करीब 12-1 बजे के आस पास सुशील सहारण ने ऑफिस आने व मेरे से मिलने के लिए कहा तो मैने कार्यालय का अवकाश होने के कारण अगले दिन ऑफिस आने के लिए कहा तो आज से कार्यालय नही आये व ना ही आज मेरी इनसे मोबाईल पर कोई बात हुई। श्री मनीष चान्दना मेरे कार्यालय में एसडीई है और ओएफसी टीम के इन्चार्ज भी है। हम जुलाई 2022 से साथ ही कार्यालय में पदस्थापित है तब से ही मै इनको जानता हूं। एसआर फर्म का कार्य जयपुर शहर में ओएफसी मेंटिनेन्स का ह। उक्त फर्म को हम कार्य बताते है और कार्य को करने के बाद उसका सत्यापन भी मै और मनीष जी करते है। मनीष जी हमारे इन्चार्ज है। सत्यापन करने के बाद एमबी पर मै या मनीष जी दोनो ही साईन करते है। उसके बाद वेण्डर अपने साईन करके बिल कार्यालय में पेश करता है। उसके

Suresh

बाद उक्त बिल मेरे या मनीष जी द्वारा सत्यापित करके आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीई (अधिशाषी अभियन्ता) को भेजे जाते है वहां से उक्त बिल डीई द्वारा फाईनेन्शीयल अप्ररूव के लिए भेजे जाते है तत्पश्चात आगे की प्रक्रिया सही होने पर उक्त बिलों की राशि संबंधित फर्म के खाता में भेजी जाती है। सुशील सहारण के जून 2022 से दिसम्बर 2022 तक के बिलों में कमियां थी जिसके संबंध एक पत्र इनको आज ही मेरे द्वारा ई-मेल किया गया था। फर्म एसआई इन्टरप्राईजेज द्वारा जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक किये गये कार्य की एमबी नही भरी गई थी व उसको सत्यापन करना भी शेष था। ज्यादातर हम वेण्डर द्वारा किये गये कार्य की एमबी 30 दिनों के अन्दर अन्दर लेते है लेकिन उक्त फर्म द्वारा जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक किये गये कार्य की एमबी वेण्डर द्वारा अपना कार्य सबमिट नही किया गया जिस कारण उक्त अवधि की एमबी हमारे द्वारा नही भरी गई। दिनांक 31.03.2023 को सुशील सहारण हमारे कार्यालय में आया था लेकिन उस दिन मैंने इनसे कोई वार्ता नही की। उपरोक्तानुसार पृथक से विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। संदिग्ध श्री कमलेश कुमार मीणा, एसडीई के मोबाईल में परिवादी श्री सुशील सहारण से हुई वार्ता की कॉल लॉग में विवरण की फोटो ली जाकर प्रिन्ट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर से रिश्वत राशि के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने बताया कि श्री सुशील सहारण मेरे पास मेन्टीनेस वेन्डर का कार्य करता है, मै इसको पिछले 6-7 महिने से जानता हूं। श्री सुशील सहारण हमारे द्वारा अधिकृत फर्म एसआर इन्टरप्राईजेज के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। इसका कार्य ओएफसी के फाल्ट का है, फर्म एसआर इन्टरप्राईजेज, दिल्ली ने जून 2022 से अरबन एरिया जयपुर के ओएफसी मेन्टिनेश के काम का ठेका लिया था जिसका प्रतिनिधी सुशील सहारण है। उक्त फर्म द्वारा जयपुर शहर में अण्डर ग्राउण्ड लगी ओएफसी केबल रिपेयरिंग व मेन्टिनेन्स का कार्य किया जाता है। फर्म द्वारा किये गये मेन्टिनेन्स कार्य का एक रजिस्टर में एन्ट्री करते है जिसका मेरे द्वारा वेरिफाई किया जाता है और उसी आधार पर मेरे व कमलेश मीणा द्वारा एमबी भरकर फर्म को देते है और फर्म द्वारा अपने बिल पेश करने पर भुगतान के लिए आगे भेजा जाता है। उक्त फर्म के जून 2022 से दिसम्बर 2022 तक के लिए मेरे द्वारा सबमिट कर प्रोसेस में भेजे हुये है जिनका भुगतान लेखा शाखा द्वारा किया जाना शेष है। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक किये गये कार्य की एमबी भरना शेष है। मेरे द्वारा सुशील सहारण को कई बार फोन कर रजिस्टर लाकर किये गये काम को वेरिफाई करवाने के लिए कहा मगर वो मेरे पास आया नही, सुशील सहारण जब भी रजिस्टर पेश करता है तो किये गये काम को लेकर विवाद करता है। दिनांक 31.03.2023 को मेरे पास सुशील सहारण ऑफिस में आया था उस समय मेरे पास मेरा साथ कमलेश मीणा, एसडीई भी बैठा था, वहां आकर सुशील ने मेरे से बिलों के भुगतान व एमबी भरने के लिए कहा तो मैंने कहा कि अभी आपका कार्य प्रोसेस में है और इस दौरान मैने 15000 रूपये भी इससे ले लिये थे। दिनांक 02.04.2023 को सुशील सहारण से मेरी फोन पर बात हुई थी। आज दिनांक 05.04.2023 को विधाधर नगर एरिया में कैबल कटी हुई थी उसकी सूचना मेरे द्वारा फोन पर सुशील सहारण को दी गई जिस पर सुशील सहारण मेरे पास आया था, मैने उसको फाल्ट की जगह बताई थी, इसके लिए मैने उसको बुलाया था, इससे मैने किसी भी प्रकार से रिश्वत नही मांगी वगैरा वगैरा पृथक से विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। मन् टीएलओ द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे गये विभागीय वाईस रिकॉर्डर को सुना गया, तो उसमें आरोपी मनीष चान्दना, एसडीई द्वारा परिवादी से 01 लाख रूपये रिश्वत के रूप में लेन-देन संबंधी वार्ताए होनी पाई गई है। इस प्रकार आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई, बीएसएनएल के विरूद्ध लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी सुशील सहारण के वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण प्राप्त किया जाना पाया गया है। आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई के मोबाईल में परिवादी श्री सुशील सहारण से हुई वार्ताओं की कॉल लॉग के विवरण की फोटो ली जाकर प्रिन्ट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री मनीष

Suresh

चान्दना, एसडीई, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 31.03.2023 व 02.04.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 05.04.2023 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री मनीष चान्दना ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित श्री जितेन्द्र कुमार, जेटीओ से घटना के संबंध में पूछताछ की तो उन्होने बताया कि श्री सुशील सहारण को मै पिछले 5-6 महिनों से जानता हूं जो अक्सर हमारे कार्यालय में आता जाते है। सुशील सहारण, फर्म एसआर इन्टरप्राईजेज के प्रतिनिधि है जो हमारे वेण्डर है। इनका कार्य जयपुर शहर में बीएसएनएल ओएफसी मेंटिनेन्स का है। आज मै व मनीष चान्दना दोनो सेन्टरल स्पाईन रोड़, विधाधर नगर एरिया में साईट पर आये हुये थे जहां पर टोरन्ट गैस का काम चल रहा था। वहां पर मनीष चान्दना व सुशील सहारण के मध्य फोन पर बात हो रही थी, उसी दौरान मनीष चान्दना ने मुझे सुशील सहारण को लोकेशन भेजने के लिए कहा तो मैने सुशील सहारण को व्हाटसअप पर लोकेशन भेजी थी, जब सुशील सहारण की गाड़ी सेन्टरल स्पाईन रोड़ पर आई तो मैने ईशारा करके हमारे पास बुला लिया। फिर सुशील सहारण अपनी गाड़ी से उतरकर मनीष चान्दना के पास आया। मै टोरेन्ट गैस वालों के द्वारा खोदे गये गड्डे के पास खड़ा होकर केबल में फॉल्ट को ट्रेस कर रहा था। उस दौरान मनीष जी व सहारण जी आपस में एमबी व बिल प्रोसेस करने के बारे में बात कर रहे थे। फिर मनीष जी व सहारण जी पेड़ के पास चले गये जहां मनीष जी का पीठु बैग टंगा हुआ था। फिर मैने देखा कि सहारण जी ने अपने कुर्ते की दाहिनी जेब में से रूपये निकाले और मनीष जी के कहे अनुसार उनके काले रंग के पीठु बैग में डाल दिये। सहारण जी ने वो रूपये क्यों डाले, कितने डाले मुझे कुछ भी पता नही है। मनीष जी व सुशील सहारण के मध्य इस संबंध में क्या बातचीत हुई मुझे पता नही क्योंकि मै अपने काम में व्यस्त था। उक्त काला पिठु बैग मनीष चान्दना जी का ही था। सहारण जी के जाने के तुरन्त बाद ही आपकी टीम वहां पर आ गई। मेरे द्वारा सुशील सहारण जी से न तो कभी कोई रिश्वत की मांग की गई व ना ही कभी मैने उनसे रिश्वत ली। आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई, श्री कमलेश कुमार मीणा, एसडीई एवं परिवादी सुशील सहारण के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.03.2023, 02.04.2023 व 04.04.2023 एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 05.04.2023 को हुई वार्ताए जो विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है, उक्त रिकॉर्ड आवाजों में आरोपी मनीष चान्दना व कमलेश कुमार मीणा की आवाज की पहचान हेतु, उक्त दोनो के जानकार श्री जितेन्द्र कुमार, जेटीओ को नियमानुसार पृथक से नोटिस आवाज पहचान दिया जाकर फर्द कार्यवाही पहचान आवाज तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मनीष चान्दना पुत्र श्री गोपीचन्द चान्दना, उम्र 41 साल, निवासी प्लॉट नं. 106, कल्याण कुंज, कालवाड़ रोड़, कांटा चौराहा, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल एसडीई (उप मण्डल अभियन्ता), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर द्वारा लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी श्री सुशील सहारण प्रतिनिधी फर्म एसआर इन्टरप्राईजेज, दिल्ली द्वारा जयपुर शहर में एमआई रोड़, एरिया जयपुर में बीएसएनएल के ओएफसी मेंटिनेस के किये गये कार्य के बिलो के भुगतान एवं मेजरमेन्ट बुक (एमबी) भरने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.03.2023 के दौरान रिश्वत के रूप में 15000 रूपये लेना, रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 02.04.2023 को सवा एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना तथा उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 05.04.2023 को परिवादी सुशील सहारण से रिश्वती राशी 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) प्राप्त करना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर को उपरोक्त धारा में गिरफतार किया गया जिसकी फर्द गिरफतारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई की जामा तलाशी में कुल 3600 रूपये नगद राशी मिली, उक्त राशि में से रिश्वत मांग सत्यापन

Suresh

दिनांक 31.03.2023 को परिवादी से रिश्वत के रूप में ली गई रिश्वत राशि 15000 रूपये में से 500-500 रूपये के पांच नोट भी बरामद हुये है, जिनके नम्बर पूर्व में अंकित किये गये 20000 रूपये के नम्बरों से किया गया तो 500-500 रूपये के पांच नोट के नम्बर हुबहु मिलान होना पाये गये। बरामद शुदा उपरोक्त 2500 रूपयो को रिश्वत के होना पाया जाने पर उक्त नम्बरी नोटो को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क ''M1'' अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। जिसकी पृथक से फर्द जब्ती तैयार की गई। श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री हरलाल मीणा, उम्र 40 साल निवासी प्लाट नं. सी-99, शिक्षा विहार, एसकेआईटी कॉलेज के पास, जगतपुरा जयपुर हाल एसडीई, बीएसएनएल, कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, दूर संचार जिला जयपुर के विरूद्ध रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.03.2023 व दिनांक 04.04.2023 से प्रकट हुये तथ्यों से संदिग्ध श्री कमलेश कुमार मीणा, एसडीई का आरोपी मनीष चान्दना, एसडीई से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के संदिग्ध तथ्य प्रकट हुये है, अत: इस संबंध में अनुसंधान से स्थित स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा। तत्पश्चात मन् टीएलओ द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को हमराह लेकर घटना स्थल महाराजा अग्रसेन अस्पताल के पास, सेन्टरल स्पाईन रोड़, विधाधर नगर, जयपुर पहुंचकर, परिवादी सुशील सहारण की निशांदेही से घटना स्थल का पृथक से नक्शा-मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आर्टिकल्स को सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली ब्रास सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही, फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में लिये गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत लेन-देन के समय रिकॉर्ड की गई वार्ताओं की वॉइस क्लिप्स का नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां तैयार की गई।

प्रकरण में अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री मनीष चान्दना पुत्र श्री गोपीचन्द चान्दना, उम्र 41 साल, निवासी प्लॉट नं. 106, कल्याण कुंज, कालवाड़ रोड़, कांटा चौराहा, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल एसडीई (उप मण्डल अभियन्ता), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर द्वारा लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी श्री सुशील सहारण प्रतिनिधी फर्म एसआर इन्टरप्राईजेज, दिल्ली द्वारा जयपुर शहर में एमआई रोड़, एरिया जयपुर में बीएसएनएल के ओएफसी मेंटिनेस के किये गये कार्य के बिलो के भुगतान एवं मेजरमेन्ट बुक (एमबी) भरने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.03.2023 के दौरान रिश्वत के रूप में 15000 रूपये लेना जिनमें से 2500 रूपये ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के कब्जे से बरामद होना, रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 02.04.2023 को सवा एक लाख रूपये (1,27,000 रू.) की रिश्वत की मांग करना तथा उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 05.04.2023 को परिवादी सुशील सहारण से रिश्वती राशी 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) प्राप्त करना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी श्री मनीष चान्दना, एसडीई, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर को उपरोक्त धारा में गिरफतार किया गया। अन्य संदिग्ध श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री हरलाल मीणा, उम्र 40 साल निवासी प्लाट नं. सी-99, शिक्षा विहार, एसकेआईटी कॉलेज के पास, जगतपुरा जयपुर हाल एसडीई, बीएसएनएल, कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, दूर संचार जिला जयपुर के विरूद्ध रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.03.2023 व दिनांक 04.04.2023 से प्रकट हुये तथ्यों से संदिग्ध श्री कमलेश कुमार मीणा, एसडीई का आरोपी मनीष चान्दना, एसडीई से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के संदिग्ध तथ्य प्रकट हुये है। इस संबंध में अनुसंधान से स्थित स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

अत: आरोपी 1. श्री मनीष चान्दना पुत्र श्री गोपीचन्द चान्दना, उम्र 41 साल, निवासी प्लॉट नं. 106, कल्याण कुंज, कालवाड़ रोड़, कांटा चौराहा, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल एसडीई (उप मण्डल अभियन्ता), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर व 2. संदिग्ध श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री हरलाल मीणा, उम्र 40 साल निवासी

प्लाट नं. सी-99, शिक्षा विहार, एसकेआईटी कॉलेज के पास, जगतपुरा जयपुर हाल एसडीई, बीएसएनएल, कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, दूर संचार जिला जयपुर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्तगण 1. श्री मनीष चान्दना, एसडीई (उप मण्डल अभियन्ता), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, एमआई रोड़, जयपुर एवं 2. श्री कमलेश कुमार मीणा, एसडीई, बीएसएनएल, कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, दूर संचार जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 77/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 619-22 दिनांक 6.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. निदेशक/महाप्रबन्धक, भारत दूर संचार निगम लिमिटेड, जिला जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।